न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 10737 / 2007 / नागौर

1— श्रीनिवास बांगड पुत्र स्व0 श्री नरसिंहदास बांगड।
2— श्री लक्ष्मीनिवास बांगड पुत्र स्व0 श्री गोकुलचंद बांगड।
3— श्री कुमार बांगड पुत्र स्व0 श्री रंगनाथ बांगड।
4— श्री कृष्ण कुमार बांगड पुत्र स्व0 श्री वल्लभद्रदास बांगड।
समस्त निवासी कोलकाता और सभी अपीलार्थी जरिये मुख्तयार आम —
1— रामनिवास पाठक पुत्र स्व0 श्री बिहारीलाल पाठक।
2— बृजमोहन शर्मा पुत्र स्व0 श्री शिवनारायण शास्त्री।
3— मालचन्द बोहरा पुत्र स्व0 मदनलाल बोहरा।
4— नगेन्द्र सिंह मोहनोत पुत्र स्व0 श्री परपतसिंह मोहनोत।
समस्त निवासी डीडवाना जिला नागौर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1— मजीद खां पुत्र भंवरू खां
2— अयूब खां पुत्र भंवरू खां (मृतक) के वारिसानः—
2/1— भंवरी बेवा अयूब खां जाति मुसलमान निवासी डीडवाना।
2/2— मु0 अलजुमा पत्नि फारूखां मुसलमान निवासी सहरियाबास तहसील लाडनू।
2/3— मु0 आमीन पत्नि फयामखां मुसलमान निवासी फागडी तहसील व जिला नागौर।
2/4— मु0 अनार
2/5— अलताफ
2/6— असफाक
क्रमांक 2/4 से 2/6 पिसरान अयूबखां नाबालिग जरिये संरक्षक एवं वली माता मु0 भंवरी बेवा अयूबखां।
3— मुराद खां पुत्र भंवरू खां
4— इमरा खां. पुत्र भंवरू खां
5— अजीम खां पुत्र हमीद खां
6— रफीक खां पुत्र हमीद खां
7— रसीद खां पुत्र हमीद खां
8— रहीम खां पुत्र हमीद खां
समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण डीडवाना जिला नागौर।
9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड–पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य
श्री आर.सी.गुप्ता, सदस्य

उपस्थित :
श्री ओ. पी. भट्ट, अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 1 से 4।
श्रीमती संतोष जाजू, अभिभाषक मुख्तयार आम संख्या–3 मालचन्द।
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांक:– 09–06–2014

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अंतर्गत यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 62/2007 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन एवं उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि:–

(1) कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपीलार्थीगण 1 से 4/ प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम मण्डाबासनी के खेत साबिक खसरा नम्बर 406 हाल खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीधा 15 बिस्वा के सम्बन्ध में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी डीडवाना (विचारण न्यायालय) के समक्ष इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण/ वादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से चला आ रहा है तथा विवादित भूमि पर वादीगण की रहवासी ढाणी बनी हुई है, जहां वादीगण का परिवार सहित रहता है। पुराना खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीधा 10 बिस्वा स्व0 शहबाज खां, **हासम** खां व अन्य व्यक्तियों के कब्जा काश्त में रहा है, किन्तु भूप्रबन्ध के समय स्व0 शाहबाज खां के अलावा अन्य व्यक्तियों की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई और शहबाज खां की खातेदारी राजस्व अधिकारियों की भूलवश दर्ज नहीं हुई। इस खसरा नम्बर 410 कुल रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा की 14 बीधा 5 बिस्वा भूमि नवीन खसरा नम्बर 684 में चली गई जिससे खसरा नंबर 684 का रकबा 27 बीधा 15 बिस्वा हो गया। इस खेत पर पीढियों से वादीगण का कब्जा रहा है और प्रतिवादीगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। किन्तु भूप्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त खेत की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी। अतः प्रत्यर्थीगण/

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम संयुक्त रुप से घोषित की जावे और वर्तमान खातेदारान के नाम खातेदारी से हटाया जावे। साथ ही यह अनुतोष भी चाहा गया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

(2) कि विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी डीडवाना ने अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 18–12–2002 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2006 द्वारा प्रत्यर्थीगण/ वादीगण का वाद डिक्री कर दिया।

(3) कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2006 से व्यथित हो कर अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने जरिये मुख्तयारआम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर/ प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–08–2007 द्वारा अपीलार्थीगण/ प्रतिवावादीगण की अपील को खारिज कर दिया।

(4) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–08–2007 से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दोनों ही पक्षों की तरफ से लिखित बहस भी प्रस्तुत हो कर शामिल पत्रावली है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी मौखिक व लिखित बहस में अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि:–

(1) कि वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था, जिसमें वादीगण द्वारा जानबुझकर राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका तर्क है कि वाद में भूप्रबन्ध अधिकारियों/ राजस्व अधिकारियों की गलती से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने की बात कही गयी है, अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार वाद में अनिवार्य पक्षकार थी। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2006 RRD 331 और 1994(1) RBJ 230 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

(2) कि जब वादीगण सेटलमेंट/ राजस्व अधिकारियों की भूल से प्रतिवादगण का नाम दर्ज होने को आधार बना कर दावा लाये हैं तो अभिलेख की उक्त भूल को सुधारने हेतु राजस्थान सरकार को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाना चाहिये था। उक्त नोटिस नहीं दिये जाने से वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं

था। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2003 RRD 80 और 2006(1) RRT 458 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

(3) कि वादीगण/ प्रत्यर्थीगण द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि बाबत पूर्व में दावा संख्या 160/2000 न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना में प्रस्तुत किया था, जिसमें पक्षकार भी समान थे। उक्त दावा दिनांक 27–05–2002 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज हो चुका था। उसी भूमि व उन्ही तथ्यों पर आधारित दूसरा वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से बाधित था। वादीगण आदेश 9 नियम 5 के उपनियम (2) के प्रावधान अनुसार निर्धारित समय सीमा में ही दूसरा वाद प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु पर गौर नहीं किया। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2005 RRD 430 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया हैं।

(4) कि विचारण न्यायालय में वादी साक्ष्य के रुप में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से ही दावा साबित किया गया। वादी मजीद खां को केवल मुख्तयार आम अजीज खां ही बतौर साक्षी उपस्थित हुआ, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 2 अनुसार मुख्तयार आम साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2001 RRD 488 और 2001 DNJ (Raj) 727 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

(5) कि वादीगण ने राजस्व/ सेटलमेंट विभाग की गलती से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने के अभिवचनों (pleadings) के साथ दावा प्रस्तुत किया था, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र के अभिवचनों से बाहर जा कर प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) को आधार बना कर वादीगण का दावा डिक्री किया है। अभिवचनों से परे जा कर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– AIR 1953 SC 235, AIR 1964 SC 136, AIR 1966 SC 735, AIR 1977 SC 890 और AIR 1980 SC 727 प्रस्तुत किये हैं।

(6) कि प्रतिकूल कब्जे से राजस्व भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय 2011(2) RRT 721 उनवानी जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा एक ही समय पर दो अलग अलग तथ्यों पर आधारित वाद की कानून इजाजत नहीं देता है। वादीगण एक तरफ राजस्व अधिकारियों की गलती से खातेदारी प्रतिवादगण के नाम दर्ज होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रतिकूल कब्जे की बात करते हैं। इसके अलावा न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा कब्जे की जांच कराये बिना केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा डिक्री कर दिया, जो गलत है।

इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2007 RRD 118, 1980 RRD 464, 1988 RRD 14, 1992 RRD 670, 2000 RRD 95, 2013 DNJ (Rev) 249, 2007 RLW RJ (SC) 988, 2002 RRD 125, 2011 DNJ (SC) 140, 2006 DNJ (Raj) 854, 2011 RRD 508 और अपील संख्या डिक्री/ टीए/2377/2009/झुन्झुनु उनवानी महेशकुमार एवं अन्य बनाम धोंकलसिंह व अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–01–2014 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

(7) कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना समुचित नोटिस तामिल करवाये बिना व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वादीगण का वाद डिक्री किया है। जब वादीगण के वाद पत्र के अनुसार ही प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण का हाल पता कलकत्ता/ कोलकाता दर्ज है। विचारण न्यायालय ने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तामील होना माना है किन्तु पत्रावली/ अभिलेख में ऐसा कोई पक्का सबूत/ रजिस्टर्ड ऐडी रसीद आदि उपलब्ध नहीं है जिससे माना जा सके कि प्रतिवादी की तामील सन्देह से परे हो गयी थी। समुचित तामील हुये बिना प्रतिवादीगण को उनकी सम्पत्ति के विधिक अधिकार से वंचित कर देना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2008 DNJ (SC) 359, AIR 2002 SC 2370, 2008 RRD 702 और निगरानी संख्या टीए/10250/2003/ जयपुर उनवानी रामलाल व अन्य बनाम नन्दलाल (फौत) व अन्य में राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 26–07–2012 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

(8) कि वादीगण का अभिकथन है कि पुराना खसरा नम्बर 410 की भूमि में से 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि नवीन खसरा नम्बर 684 में चली गयी। खसरा नम्बर 684 का रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा है और यह खसरा प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण की खातेदारी में चला आ रहा है। किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये हैं कि उनके खसरे का कोई भाग अपीलार्थीगण की खातेदारी में चला गया हो। विचारण न्यायालय ने केवल खसरा गिरदावरी को आधार बना कर यह मान लिया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण की कदीमी काश्त है, जबकि खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड़ ऑफ राइटस नहीं है और इसके आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2000 RRD 95, 1964 RRD 101, 2000 RRD 231, 2007 RRD 118 और 2009 RRD 433 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

(9) कि वादग्रस्त भूमि जोधपुर रियासत द्वारा बापी पट्टे के रुप में बांगड़ परिवार के मुखिया सेठ मंगनीराम जी रामकुवार जी को 1944 में दी थी और बांगड़ परिवार द्वारा रियासत काल में ही यह भूमि

पशुओं के कल्याण हेतु रखी थी। इस तथ्य का उल्लेख पूर्व निर्णय 2000 RRD 570 उनवानी श्री लक्कड़ श्यामजी मूर्ति बनाम एल. आर. ऑफ तोलाराम व अन्य में है।

(10) कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा केवल प्रकरण को मियाद बाहर मान कर अपील को खारिज कर दिया है जबकि जानकारी से प्रकरण अन्दर मियाद था, किन्तु न्यायालय द्वारा तथ्यों की सही प्रकार से विवेचना नहीं की गयी है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा 2000 RRD 37, 2004 RRD 97, 2005 (1) RRT 588, 2009 DNJ (SC) 429, निगरानी संख्या टीए/5010/2012/ अजमेर उनवानी श्रीमती नाथी एवं अन्य बनाम श्रीमती सुप्यार कंवर व अन्य में राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 23–07–2012 तथा प्रकरण स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम मोईदीन कुन्ही एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–05–2009 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का अभिकथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करते हुये विधि के विपरीत निर्णय पारित कर वादीगण का दावा डिक्री किया है, अतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।

5– उपरोक्त तर्कों का पुराजोर विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी लिखित व मौखिक बहस में अभिकथन किया किः–

(1) कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का पीढियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में शाहबाज खां का कब्जा काश्त था और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का पुराना खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा था, जिस पर स्व0 शाहबाज खां, हमाम खां व अन्य का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय स्व0 शाहबाज खां को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार मिल गये किन्तु स्व0 शाहबाज खां का नाम राजस्व अधिकारियों की भूल से अभिलेख में नहीं आया। इसके अलावा इस खसरा नम्बर पुराना 410 का 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि नवीन खसरा नम्बर 684 में मिला दिया गया जिससे उक्त खसरा नम्बर 684 का रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा हो गया जबकि उक्त 14 बीघा 5 बिस्वा पर पीढियों से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(2) कि प्रतिवादीगण को विचारण न्यायालय के सम्मन नोटिस की विधिवत तामील होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिससे उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही नियमानुसार की गयी

है और वादी पक्ष की साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिक्री किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उक्त डिक्री दिनांक 01–03–2006 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण की अपील मियाद बाहर थी और विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं होने से राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा मियाद के आधार पर अपील को खारिज किया गया हे जो कि एक विधिवत आदेश है। उक्त आदेश दिनांक 30–08–2007 में द्वितीय अपील के स्तर से हस्तक्षेप किये जाने योग्य कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है। अपने इस तर्क के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 2005 RBJ 735, 2007 RBJ 438, 2008 RBJ 674, 2009 RBJ 209, 2009 RBJ 810 और 2013 (2) RRT 1252 का सहारा लिया है।

(3) कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं और समवर्ती निर्णय व निष्कर्षों में द्वितीय अपील के स्तर से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। इस तर्क के समर्थन में AIR 1959 SC 57, 1998 RBJ 10, 294, & 447, 2007 RRD 587 और 2007 RBJ 35 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

(4) कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य– खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2017, खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 व जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व अधिकार वादीगण का बखूबी साबित था, अतः विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का प्रतिकूल कब्जा साबित मान कर दावा डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा 1991 RRD page 1 अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मिलने का प्रावधान है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि जगदीश एवं अन्य के प्रकरण– 2011(2) RRT 721 में मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03–06–2011 के प्रभाव को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

(5) कि खसरा गिरदावरी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित करने के लिये सर्वोत्तम साक्ष्य है और खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी भी दी जा सकती है। इस तर्क के समर्थन में 1996 RRD 535 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है।

(6) कि प्रतिवादीगण बावजूद तामील विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और जवाबदावा नहीं दिया गया। जब प्रतिवादीगण की कोई प्लीडिंग्स ही नहीं थी, तो उनकी साक्ष्य को देखा नहीं जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में 1987 RRD 118 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है।

(7) कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद दो पक्षकारान के मध्य था और राजस्थान सरकार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था, अतः

राजरू सरकार आवश्यक पक्षकार नहीं है। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 1974 RRD 271, 1982 RRD 39, 1995 RBJ 682 और 1996 RRD 288 प्रस्तुत किये गये हैं।

(7) कि अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत लिखित बहस में कुछ ऐसे बिन्दु उठाये गये हैं जो कि अपील ज्ञापन में नहीं है। अपील ज्ञापन से भिन्न आधार बहस में नहीं लिया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– 2012 RLW (2) 1889 प्रस्तुत किया गया है।

(8) कि वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का पूर्व वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज होने से पुनः दावा लाया जाना प्रतिबन्धित नहीं है।

अन्त में विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों व अभिलेखीय/ मौखिक साक्ष्य का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया गया और उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण किया गया।

7– वादीगण/ प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद का मुख्य आधार यह था कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा के साबिक खसरा नम्बर 406 थे। इसके पूर्व खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा पर पीढियों से वादीगण के पूर्वजगण स्व0 शाहबाज खां व हमाम खां तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु सेटलमेंट के दौरान स्व0 शाहबाज खां को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गये और राजस्व अधिकारियों की गलती से स्व0 शाहबाज खां का नाम दर्ज होना से रह गया। साथ ही पूर्व खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा में से 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा में चली गयी, जबकि उस भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मण्डाबासनी की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावे। दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये और बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के आधार पर विचारण

न्यायालय द्वारा दिनांक 18–12–2002 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी और वादीगण का वाद दिनांक 01–03–2006 को डिक्री कर दिया गया।

8– विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01–03–2006 के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने जरिये मुख्तार आम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा समुचित तामील नहीं होने का बिन्दु उठाते हुये अपील को अन्दर मियाद मानने का अनुरोध करते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा समुचित तामील माना गया तथा एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18–12–2002 को सही माना गया और इस कारण प्रथम अपील को मियाद बाहर मानते हुये तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुये प्रथम अपील को खारिज कर दिया। हमारे समक्ष प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील में भी गुणावगुण सम्बन्धी बिन्दुओं के अलावा समुचित तामील नहीं होने के बावजूद गलत रुप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का बिन्दु प्रमुखता से उठाया गया है।

9– विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 01–03–2006 अनुसारः––

> **"नकल जमाबन्दी Ex-4 के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 684 रकबा 27.15 बीघा की खातेदारी बापी बनाम गौशाला गोविन्दलाल s/o मंगनीराम, गोकलचन्द s/o रामकुंवार महाजन बांगड़ साकिन डीडवाना के नाम दर्ज है। लेकिन वो फोत हो चुके हैं, जिनके स्थान पर उनके वारिसान को प्रतिवादी बनाया हुआ है। जिनके द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है। नकल गिरदावरी Ex-6, 7 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण की कदीम से पुश्तैनी काश्त दर्ज हुई है। गवाह pw-1 भौलू खां, pw-2 जब्बरु खां जो करीब 60, 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं एवं गवाह pw-3 अजीज खां यानि तीनों गवाहों ने दस्तावेज Ex-5, 6, 7 की पुष्टी करते हुये 50 वर्षों से भी अधिक समय से वादीगण का कब्जा काश्त होने की ताईद की है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर एकवर्स पजेशन (Adverse possession) है। लिहाजा दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।"**

10– विचारण न्यायालय के उपरोक्तानुसार निष्कर्षांकन के अवलोकन मात्र से जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कोई जांच नहीं की गयी कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर क्या था? क्या पूर्व खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा में से 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि

वर्तमान खसरा नम्बर 684 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा में मिली है अथवा नहीं? और अगर इस प्रकार अगर 14 बीघा 5 बिस्वा भूमि अगर पूर्व खसरा नम्बर 410 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा रही है तो उक्त 14 बिस्वा 5 बिस्वा भूमि पर किसका कब्जा व काश्त रहा है और कब से? चूंकि वादीगण का अभिवचन यह है कि सेटलमेंट / राजस्व अधिकारियों की गलती से स्व0 शाहबाज खां का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज होने से रह गया है, अतः विचारण न्यायालय के लिये यह जांच करना भी आवश्यक था कि सेटलमेंट कब हुआ और उक्त सेटलमेंट से तत्काल पूववर्ती (immediately preeceeding) राजस्व अभिलेख में खातेदारी की क्या स्थिति है?

11— जहां तक अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण की समुचित तामील होने व दिनांक 18—12—2002 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के साथ प्रथम बार में ही रजिस्टर्ड़ ऐडी डाक से नोटिस जारी किये गये थे। रजिस्टर्ड़ एडी डाक की रसीदात दिनांक 01—11—2002 पत्रावली के पृष्ठ 45 पर संलग्न हैं। उक्त रसीदात कलकत्ता के पते की हैं। उक्त नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01—11—2002 को भेजे गये और अनुपस्थिति के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18—12—2002 को की गयी। इस बीच प्रकरण में 13—11—2002, 06—12—2002, 11—12—2002 और 18—12—2002 की तारीखें निर्धारित थीं। दिनांक 01—11—2002 को डाक से भेजे गये नोटिस की प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परीक्षण सम्भव नहीं है कि दिनांक 01—11—2002 को जो नोटिस भेजे गये वह किस दिनांक/पेशी के लिये थे और क्या उक्त नोटिस निर्धारित दिनांक/पेशी से पूर्व प्रतिवादीगण को मिल गये थे या नहीं? चूंकि दिनांक 01—11—2002 के बाद दिनांक 13—11—2002 की तारीख निर्धारित थी, अतः स्वाभाविक रुप से यही माना जावेगा कि दिनांक 01—11—2002 को रजिस्टर्ड़ ऐडी डाक से भेजे गये उक्त नोटिस दिनांक 13—11—2002 की तारीख के लिये ही थे। इसका तात्पर्य है कि रजिस्टर्ड ऐडी डाक से नोटिस भेज कर केवल 12 दिन बाद की तारीख निर्धारित की गयी थी। इस बात को सन्देह से परे मानने का कोई आधार पत्रावली में नहीं है कि इस 12 दिन की निर्धारित तरीख से पूर्व कलकत्ता जैसे महानगर में प्रतिवादीगण को उक्त रजिस्टर्ड डाक से नोटिस मिल गये हों। यह सही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 (5) के परन्तुक के प्रावधानानुसार जब नोटिस रजिस्टर्ड़ ऐडी डाक से भेजे जावें और 30 दिन की अवधि में उक्त रजिस्टर्ड डाक की पावती/ अभिस्वीकृति वापिस प्राप्त नहीं हों तो न्यायालय ऐसी घोषणा कर सकेगा कि नोटिस की तामील सम्यक् रुप से हो गयी है। उक्त विधिक प्रावधान का आधार यह अवधारणा है कि 30 दिन की अवधि में

उक्त रजिस्टर्ड़ डाक प्राप्तकर्ता को मिल जावेगी। विधि के इस प्रावधान की रोशनी में हमारा मत है कि जब न्यायालय इस प्रकार रजिस्टर्ड़ ऐडी डाक से नोटिस भेजने के आदेश प्रदान करे तो कम से कम 30 दिन + उसके साथ कुछ प्रतीक्षा अवधि जोड़ कर उसके बाद की ही तारीख निर्धारित की जानी चाहिये ताकि 30 दिन की अवधि में रजिस्टर्ड डाक से नोटिस की तामील होने पर प्रतिवादी निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। अगर 30 दिन से कम अवधि की तारीख दी गयी है, जैसा कि हस्तगत प्रकरण में 12 दिन की तारीख निर्धारित थी, और नोटिस/ डाक की प्राप्ति प्रतिवादी को निर्धारित तारीख के बाद किन्तु 30 दिन की अवधि से पूर्व हो भी जाती है तो प्रतिवादी किस दिन अपने आपको व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित करेगा? प्रतिवादी से यह अपेक्षा करना न्यायोचित नहीं है कि निर्धारित तारीख के बाद तामील होने पर वह किसी भी दिन न्यायालय में उपस्थित हो जावे। हस्तगत प्रकरण में अगर दिनांक 13–11–2002 की निर्धारित दिनांक से पूर्व प्रतिवादीगण को नोटिस नहीं मिले हों और उसके बाद मिल भी गये हों तो उनका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जब तक पुनः नोटिस नहीं भेजे जावें, तब तक प्रतिवादीगण को यह जानकारी होना सम्भव नहीं है कि उन्हें किस दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होना है। इस प्रकार रजिस्टर्ड़ ऐडी डाक की रसीदात दिनांक 01–11–2002 पत्रावली में उपलब्ध होते हुये भी हमारा मत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील सन्देह से परे नहीं हुई है, और दिनांक 12–11–2002 के नोटिसेज के आधार पर दिनांक 18–12–2002 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही के आदेश विधि अनुकूल नहीं हैं।

12– मियाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2005 RBJ (SC) 735 में यह प्रतिपादित इस सिद्धान्त से हम सम्मान सहित सहमत हैं कि केवल कठिनाई (hardship) और अन्याय (injustice) विलम्ब को क्षमा करने का आधार नहीं हो सकते हैं, अपितु विलम्ब को क्षमा करने के लिये सन्तोषप्रद कारण होने चाहिये। हस्तगत प्रकरण में तथ्य यह नहीं है कि मियाद के बिन्दु पर प्रथम अपील को खारिज करने से अपीलार्थी के साथ अन्याय हुआ है, अपितु तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण पर समुचित प्रकार से तामील होना ही सिद्ध नहीं है। तामील सन्दिग्ध है और ऐसी संदिग्ध तामील के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रतिरक्षण करने से अवैधानिक रुप से वंचित करना है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इस प्रकार की अवैधानिक एकपक्षीय कार्यवाही करके पारित निर्णय अवैध व शून्य है जिस पर मियाद सम्बन्धी प्रतिबन्ध प्रभावी ही नहीं है। इसी प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2007 RBJ (SC) 438, 2008 RBJ 674 और 2009 RBJ 209 में

सन्तोषजनक कारण के अभाव में विलम्ब को क्षमा करना उचित नहीं माना है। यह दृष्टान्त भी हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की मदद नहीं करते है क्योंकि समुचित तामील नहीं होने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही करके पारित निर्णय की अपीलार्थीगण को समय पर जानकारी होना सम्भव नहीं था और जानकारी का अभाव होना निश्चित रुप से एक सन्तोषजनक कारण है, जिसे स्वीकार नहीं करके प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सारभूत विधिक त्रुटि कारित की है।

13— हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 46 पर प्रतिवादीगण की तरफ से अभिभाषकगण श्री राजेन्द्रकुमार माथुर आदि का वकालतनामा संलग्न है। उक्त वकालतनामा के प्रस्तुतीकरण का पृष्ठांकन ना तो वकालतनामा पर अंकित है और न ही विचारण न्यायालय की आदेशिका में ऐसे वकालतनामा के प्रस्तुत होने का उल्लेख है। किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 46 पर उक्त वकालतनामा संलग्न होने से यह मानने का भी कोई आधार नहीं है कि वकालतनामा प्रस्तुत नहीं हुआ था। जब प्रतिवादीगण की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत हो चुका था तो प्रतिवादीगण को प्रतिरक्षण/ जवाबदावा आदि प्रस्तुत करने का अवसर क्यों नहीं दिया गया, इस तथ्य पर भी विचारण न्यायालय की पत्रावली, आदेशिका एवं निर्णय चुप है।

14— उपरोक्त अनुच्छेद 7 से 13 में की गयी विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 18—12—2002 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि प्रतिवादीगण को सन्देह से परे समुचित तामील हो गयी है। अतः दिनांक 18—12—2002 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गयी एकपक्षीय कार्यवाही विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। इस प्रकार की अवैधानिक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण को अपना पक्ष—प्रतिरक्षण करने से वंचित किया गया है और ऐसी कार्यवाही निश्चित रुप से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी तामील के बिन्दु पर विधिक प्रावधानों की मंशा के अनुसार विवेचन किये बिना ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध समुचित तामील मान कर प्रथम अपील को खारिज कर दिया, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अनुच्छेद 10 में अंकित है, विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर भी आवश्यक बिन्दुओं पर गहनता से विवेचन नहीं किया गया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्तनीय है

और प्रकरण पुनः विचारण एवं निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

15— चूंकि उभयपक्ष को सुनवाई एवं प्रतिरक्षण का समुचित देकर गुणावगुण पर नवीनतः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, अतः हमारे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा दौराने बहस उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर तथा प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन व टिप्पणी करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। इस न्यायालय द्वारा की जाने वाली टिप्पणी से अधीनस्थ न्यायालय/ विचारण न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है।

16— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 30—08—2007 तथा विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01—03—2006 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, डीड़वाना) को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुतीकरण/ पक्ष प्रतिरक्षण का समुचित अवसर देकर आवश्यक विवाद्यक विरचित किये जावें और साक्ष्य उपरान्त वाद का गुणावगुण पर पुनश्चः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.गुप्ता)
सदस्य

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य